Evaluation Criteria for Land Allotment					
	Name of the Unit				
	Criteria	**Points Distribution**	**Max. Points**	**Wightage**	**Points Scored**
1	**Educationl Qualification**				
a	Upto Class 12	3	5	5%	
b	Graduation	4			
c	Post-Graduation and Above	5			
2	**Technical Qualification**				
a	None	2	5	5%	
b	ITI	3			
c	Diploma	4			
d	BE/B.Tech/ MCA/MBA/CA	5			
3	**Professional Experience**				
a	None	0	10	10%	
b	Experience in Non-Similar Line	5			
c	Experience in Similar Line	10			
4	**Equity**				
a	Upto 10% of the Project Cost	4	10	10%	
b	For every 10% additional, two marks will be given	2			
5	**Whether unit approved and sanctioned by Financial Institution/NBFC**				
a	If Yes	5	5	5%	
b	If No	0			
6	**Project Cost**				
a	Above 1 Crore	10	10	10%	
b	Above 50 Lakhs	7			
c	Above 25 Lakhs	5			
d	Upto 25 lacs	4			
7	**Debt Coverage Ratio**				
a	More than 2.00 or Not applicable in case of No Loans	5	5	5%	
b	1.75 to 2.00	4			
c	1.50 to 1.75	3			
d	1.25 to 1.50	2			
e	1.00 to 1.25	1			
8	**Pollution Category**				
a	White	5	5	5%	
b	Green	4			
c	Orange	3			
d	Red	2			

प्रेषक,

अपर निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
पटेल नगर, देहरादून।
फोनः 0135–2728227 व फैक्स : 2728226
website: www.doiuk.org, **email:** mpr@doiuk.org

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक /उ.नि.(पांच)–औ.आ. भू.आ./2017–18 दिनांकः जून, 2017

महोदया,

कृपया उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या999/सात–2/34–एम.एस.एम.ई./2016, दिनांक 26 मई, 2016 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके द्वारा उद्योग विभाग द्वारा विकसित वृहत/मिनी औद्योगिक आस्थानों में शैड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानान्तरण/किराये आदि के सम्बन्ध में एकीकृत प्रक्रिया/नीति प्राख्यापित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्राख्यापित उक्त नीति/प्रक्रिया के कतिपय बिन्दुओं पर यथाः– प्रार्थना पत्र शुल्क के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने, मूल्यांकन के लिए सूक्ष्म उद्यमों (रू. 25 लाख तक) के पूँजी निवेश, साझेदारी फर्म/कम्पनी के साझेदारों/निदेशकों की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, परियोजना में अंशधारिता, स्थानीय कच्चे माल के उपयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग आवेदक के लिए अंक/Watage निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राख्यापित नीति/प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रस्तरों (बिन्दुओं) में स्पष्टीकरण (clarification)/परिवर्द्धन (aaddition)/संशोधन (ammendment) किया जाना आवश्यक है, ताकि नीति और अधिक व्यवहारिक, पारदर्शी, सभी श्रेणी के उद्यमियों के लिए लाभदायी हो सके। भारत सरकार की Ease of Doing Business की नीति को संज्ञान में लेते हुए इस नीति/प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रस्तरों पर स्पष्टीकरण (clarification)/परिवर्द्धन (aaddition)/संशोधन (ammendment) हेतु वर्तमान प्राविधानों के साथ–साथ जारी किये जाने वाले स्पष्टीकरण (clarification)/परिवर्द्धन (aaddition)/संशोधन (ammendment) का आलेख/प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जा रहा हैः–

प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित स्पष्टीकरण/परिवर्द्धन/संशोधन
प्रस्तर–1	प्रार्थना पत्र के साथ जमा अग्रिम राशि	
	प्रार्थना पत्र के साथ जमा किये जाने वाले अग्रिम की राशि निम्न प्रकार होगीः– (क) 200 वर्गमीटर तक रू. 2,000/– (ख) 200 वर्गमीटर से अधिक रू. 5,000/–	प्रार्थना पत्र के साथ जमा किये जाने वाले अग्रिम की राशि निम्न प्रकार होगीः– (क) 200 वर्गमीटर तक रू. 2,000/– (ख) 200 वर्गमीटर से अधिक रू. 5,000/– स्पष्टीकरणः (1) प्रार्थना पत्र के साथ जमा की गई अग्रिम की धनराशि में से रू. 500/– प्रार्थना–पत्र शुल्क के रूप में

		होगा। जिन आवेदकों को भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, द्वारा जमा किये गये अग्रिम की धनराशि में से रू. 500/–प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में काटकर अवशेष धनराशि आवेदक को लौटा दी जायेगी। जिन आवेदकों को भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा, द्वारा जमा अग्रिम में से रू. 500/– प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में काटकर अवशेष धनराशि अन्य देयों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी। (2) अग्रिम राशि का भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचलित विकसित भुगतान प्रणाली की विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।
प्रस्तर–3	आवेदन पत्रों का मूल्यांकन	

1	Educational Qualification				
(a)	Up to class 12th	3	(a)	Up to class 12th	3
(b)	Graduation	4	(b)	Graduation	4
(c)	Post graduation & above	5	(c)	Post graduation & above	5
2	Technical Qualification				
(a)	None	2	(a)	None	2
(b)	ITI	3	(b)	ITI	3
(c)	Diploma	4	(c)	Diploma	4
(d)	BE/B.Tech/MCA/MBA/ CA	5	(d)	BE/B.Tech/MCA/MBA /CA	5
			Clarification: In case of Partnership firm or Pvt.Ltd. co. Any partner or Director of the firm/co. Who has higher educational/ Technical Qualification taken for evaluation.		

प्रस्तर–3	3(v) परियोजना के अभिज्ञापन हेतु तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता का कड़ाई से मूल्यांकन करते हुए पारदर्शी आवंटन के लिए इवेल्यूएशन क्राइटीरिया निम्नलिखित प्रकार से होगाः–	3(v) परियोजना के अभिज्ञापन हेतु तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता का कड़ाई से मूल्यांकन करते हुए पारदर्शी आवंटन के लिए इवेल्यूएशन क्राइटीरिया निम्नलिखित प्रकार से होगाः–

Evaluation Cretirial for land allotment

6.	**Project Cost**		**Points**	6.	**Project Cost**		**Points**
	(a)	Above 1 Crore	10		(a)	Above 1 Crore.	10
	(b)	Above 50 Lacs	7		(b)	Above 50 Lacs	7
	(c)	Above 50 Lacs	5		(c)	Above 25 Lacs	5
					(d)	**Upto 25 Lacs**	**4**
13.	**Type of**		**Points**	13	**Type of**		**Points**

		Entrepreneur			.	**Entrepreneur**		
		(a)	Women	5		(a)	Women	5
		(b)	Retired Army Professional and/or Freedom Fighters	5		(b)	Retired Army Professional and/or Freedom Fighters	5
		(c)	None of the above	0		**(c)**	**SC/ST/ Physically Handicapped**	**5**
						(d)	None of the above	0

एकीकृत आवंटन नीति/प्रक्रिया के विद्यमान प्राविधानो के अनुसार विभागीय औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु प्रस्तावित स्पष्टीकरण (clarification)/परिवर्द्धन (aaddition)/संशोधन (ammendment) के आदेश जारी होने की प्रत्याशा में निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अनुरोध है कि उक्त नीति में प्रस्तावित स्पष्टीकरण (clarification)/परिवर्द्धन (aaddition)/संशोधन (ammendment) किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन से आवश्यक आदेश जारी कराने की कृपा करें, ताकि औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखण्डों का यथाशीघ्र आवंटन हो सके।

भवदीय,

(सुधीर चन्द्र नौटियाल)
अपर निदेशक उद्योग।